(24)

(26)

TECHNICAL SPECIFICATION OF 100 FEET SELF SUPPORTED TOWER

SL NO	TECHNICAL SPECIFICATION	REQUIREMENT
01	Height	100 Feet from Ground Base
02	Type	Self supported
03	Dimension	(a)Base- 11 Feet sqr (b)Top- 2 Feet sqr
04	Wind Velocity	165 KM Per hours
05	Ladder	From outside base to top with one feet wide steps
06	Platform	one 4'x4' at every internal & last one 2 below the top
07	Materials	Mild Steel ISO 630-2 (grades like S235, S275) /Galvanized steel ISO 1461 / ISO-9001-2015
08	Size of Angle	75x75x6 mm 65x65x6 mm 50x50x6mm 40x40x6mm 35x35x5mm ½ inch iron rod 50x50x6 mm patti and nuts bolts etc.
09	Earthing	5 feet deep and 1.5 sqr mtr earth plate with salt and charcoal and were copper wire 8 SWG, size tight with earth plate to tower leg.
10	Aviation Lamp	On the top of the tower wiring from tower mains with 1 mm pvc copper wire in plastic pipe.
11	Lightening arrester	6KVA on the top of the Tower for thundering.
12	Foundation	Complete erection and installation on RCC Foundation base 5.5 feet deep, 3'x3' bottom, and 2'x2' top for every leg and above the ground. Tie beam connected to four leg 230mmx350mm
13	Provision	Arrangement for installation of VHF /Micro Link antenna should be provided with hot deep Galvanized clamp
14	Finish	Two coat of red/white paint super enamel painting with Iron Oxide primer after surface smoothing with sand paper.
15	Warranty	Minimum Fifteen Year on the comprehensive from the date of installation
16	Other	Original NABL certified Lab Test Report must be submitted for material along with the Tender

6-10

GeM Portal पर सामग्रियों/उपस्करों/उपकरणों/वाहनों के क्रय के मानक नियम एवं शर्तो का निर्धारण एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति की दिनांक–11.07.2024 को आहूत बैठक का वृत्त :–

1. श्री राजीव रंजन, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना – अध्यक्ष
2. श्री विशाल शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना – सदस्य
3. श्री अंजनी कुमार, पुलिस अधीक्षक (अभियान), बिहार, पटना – सदस्य

उक्त समिति द्वारा जेम पोर्टल पर किये जाने वाले निविदा की नियम एवं शर्तो का अध्ययनोपरांत कतिपय संशोधन कर एक मानक नियम एवं शर्त तैयार किया गया है जो निम्न वर्णित है:–

<u>निविदा का मानक नियम एवं शर्त्त</u>

1. सामग्रियों/उपस्करों/उपकरणों/वाहनों आदि के निविदा में GeM Portal पर निबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा भाग लिया जाएगा। अधिकृत विकेता/प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्त्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकर्त्ता पिछले तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिर्टन, पैन नंबर, ट्रेडिंग एकाउन्ट/प्रोफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं बैलेंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेन्ट से सत्यापित कराकर (मुहर सहित) निविदा के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
3. तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो–कॉमर्सियल प्रोफाइल), वार्षिक टर्न ओवर, जी0एस0टी0 तथा क्रमांक–2 में अंकित कागजातों का प्रमाण पत्र संलग्न कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु जेम के Clarification of Bids/Shortfall Documents के अन्तर्गत निविदा खुलने की तिथि के पूर्व का निविदाकर्त्ता के पास उपलब्ध अभिलेख को जेम पोर्टल पर Seek Clarification के तहत नियत समयावधि में अपलोड करने का अनुमति दिया जा सकता है।
4. निविदा में भाग लेने वाले फर्म इस आशय का Notary से प्राप्त Affidavit Upload करेंगे कि "उनका फर्म किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/PSU/निजी संस्था द्वारा Black Listed/Debarred नहीं किया गया है"।
5. निविदा में भाग लेने वाले फर्म का Sister Concern फर्म द्वारा उक्त निविदा में भाग नहीं लिया जाएगा। (CVC Guideline के अनुसार)
6. अभिलेख मूल्यांकन में सफल फर्मो के सामग्रियो/उपस्करों/उपकरणों/वाहनों का भौतिक प्रदर्शन केन्द्रीय तकनीकी जाँच समिति के समक्ष कराया जायेगा। भौतिक प्रदर्शन के उपरांत समिति द्वारा सभी मदों में आवश्यकतानुसार प्रदर्शित सामग्रियों/उपस्करों/उपकरणों/वाहनों का नमूना केन्द्रीय भण्डार, पटना में जमा कराया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी बिहार पुलिस के बेवसाईट https://police.bihar.gov.in पर दी जायेगी।
7. निविदा में भाग लेने वाले फर्म अपने उपकरण का भारत सरकार का प्रयोगशाला/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्राप्त गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र/NABL टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
8. यदि कोई फर्म/कम्पनी निविदा में उद्धृत मॉडल से ज्यादा Advance Specification का मॉडल देती है तो केन्द्रीय तकनीकी जाँच समिति उसपर विचार कर सकती है।
9. निविदा के नियम एवं शर्त्तों तथा विशिष्टियों के आधार पर केन्द्रीय तकनीकी जाँच समिति द्वारा सफल घोषित फर्मो का वित्तीय भाग खोला जाएगा।
10. फर्म द्वारा सामग्री/उपकरण/वाहन इत्यादि के लिए विशिष्टियों में अंकित वारंटी अवधि जो किसी भी परिस्थिति में 03 (तीन) वर्ष से कम नही होगा, का वारंटी देना होगा।
11. अंतिम रूप से सफल फर्म को 38 माह का 5% का Performance Guarantee समर्पित करना होगा।
12. अंतिम रूप से सफल फर्म के साथ GeM Portal पर Contract (एकरारनामा) किया जायेगा। इसके नियम एवं शर्तो के उल्लंघन करने पर/सामग्री आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई करते हुए Debar/Blacklist करने का निर्णय लिया जायेगा।
13. बिना स्वीकार्य कारण के ससमय सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर GeM के Latest General Terms & Condition के अनुसार Liquidated Damage की गणना कर कटौती की जाएगी।

14. आपूरित सामग्री/उपस्कर/उपकरण/वाहन का जाँच किस संस्था एवं किस रीति से कराया जाएगा इसका निर्णय पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना लेगा जो फर्म के लिए बाध्यकारी होगा। सामग्री/उपस्कर/उपकरण/ वाहन की जाँच कराने में होने वाले व्यय का वहन निविदादाता स्वयं करेंगे।
15. सामग्री/उपस्कर/उपकरण/वाहन की आपूर्ति केन्द्रीय वस्त्र भंडार, फुलवारीशरीफ, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा तय किये गए स्थान पर की जाएगी। आपूरित सामग्री/उपस्कर/उपकरण/वाहन तब तक स्वीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक कि संबंधित निरीक्षण समिति सामग्री/उपस्कर/उपकरण/वाहन के निरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय निरीक्षण समिति स्वीकार करने योग्य घोषित नहीं कर देती है। अस्वीकृत सामग्री/उपस्कर/उपकरण/वाहन की सूचना प्राप्त होने पर निविदादाता को स्वयं अपने खर्च से उक्त सामग्री/उपस्कर/उपकरण/वाहन वापस ले जाना होगा।
16. विदेशी फर्म अथवा OEM जो उपकरण बनाती है उस उपकरण का भारत में अधिकृत भारतीय डीलर एवं Service Centre का होना अनिवार्य होगा। साथ ही मरम्मति एवं अनुरक्षण हेतु कम से कम तीन वर्षों की वारंटी देना अनिवार्य होगा।
17. पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एवं बिना किसी सूचना के किसी भी समय निविदा को रद्द कर दें अथवा निर्धारित मदों में आवश्यकतानुसार वर्णित मात्रा को घटा दे या बढ़ा दें।
18. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–131R (Viii) के अनुसार आवश्यकतानुसार Pre Bid Meeting का आयोजन किया जा सकता है।
19. निविदा से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा पटना क्षेत्रान्तर्गत होगा।
20. बिहार वित्तीय नियमावली की अन्य सभी शर्तें लागू होंगी।

(अंजनी कुमार)	(विशाल शर्मा)	(राजीव रंजन) 11/07/24

6

निविदा की नियम एवं शर्तों का Check List

Sr. No.	Required Document	
1	OEM/Dealer	
2	Certificate, if OEM	
3	OEM Authority, if Dealer	
4	OEM Turn Over	
5	Bidder Turn Over	
6	Experience last 3 Yrs. (Attach purchase order)	
7	Past Performance last 3 Yrs. The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should hav e supplied same or similar Category Products for 10% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date.	
8	No. of Service Centers in Bihar	
9	Toll Free Number & Escalation Matrix	
10	Affidavit (Rule 4 of term & condition, regarding non-blacklist/debarred)	
11	Test Report	
12	ITR (Last 3 Yrs.), Balance Sheet, P&L Account (Last 3 Yrs.)	
13	Warranty 3 Yrs. minimum	
14	Ready to submit e-PBG (5% for 38 months) after contract generation (Yes/No)	

Check List के अनुसार Document का GeM पर Upload क्रमवार करना अनिवार्य है।